विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3092 द्वारा डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान के प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' की जानकारी

1. **<u>प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5</u>** - राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाले विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के छात्र-छात्राओं का प्रतिमाह रूपये 15/- के मान से 10 माह के लिये रूपये 150/- की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है।

2. **<u>राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10</u>** - कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक (10 माह हेतु) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

कक्षा	छात्र	छात्रा
6 से 8	रू. 200/-	रू. 600/-
9 से 10	रू. 600/-	रू. 1200/-

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है।

3. **<u>पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>** - योजनांतर्गत कक्षा 11 वीं से लेकर महाविद्यालयीन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान समूह, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कृषि, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि समूहों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये नियमानुसार षिक्षण षुल्क प्रदान का प्रावधान है। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के ऐसे विद्यार्थी जिन्होने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो तथा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न प्राप्त कर रहें हो, ऐसे विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आॅफ लाईन माध्यम से पिछड़ा वर्ग के नियमानुसार देय होगी।

4. **<u>कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं</u>**- विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है। प्रथम बार कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 3,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है।

3. **<u>सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना</u>**- विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यार्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

क्र.	विवरण	म.प्र.लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये
1	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	20,000/-	40,000/-
2	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	30,000/-	60,000/-
3	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	25,000/-	50,000/-

निरंतर..........02

लेखाधिकारी
विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु
समुदाय विकास

6. **<u>सैनिक स्कूल में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-</u>** सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने पर विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना संचालित है।

7. <u>मुख्यमंत्री आवास भाडा योजना</u>- दूरस्थ स्थान के विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के विद्यार्थी, जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदाय करने हेतु यह योजना संचालित की जाती है, ताकि उनके लगातार अध्ययन में व्यवधान न आये।

8. <u>विमुक्त जाति छात्रावास योजना</u>- विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के दूरस्थ स्थान से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 140 विमुक्त जाति छात्रावास/आश्रम/सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में 6550 सीटस स्वीकृत हैं जिसमें से वर्तमान में 117 संचालित है।

9. **<u>मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना</u>**- योजना अंतर्गत 1 लाख तक के परियोजना लागत के व्यक्ति मूलक प्रकरण एवं 10 लाख तक स्वयं सहायता समूह हेतु बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त के लिए 25 प्रतिशत या अधिक्तम राशि रू. 20 हजार व्यक्ति मूलक एवं 25 प्रतिशत या अधिक्तम राशि रू. 2 लाख स्वयं सहायता समूह को प्रदाय की जाने वाली ऋण राशि पर अनुदान का प्रावधान है। साथ ही ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

10. **<u>विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना</u>**- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बाहुल्य बस्तियों ग्राम, वार्ड, मोहल्ले, मजरे, टोलों एवं डेरों में अधोसंरचना के विकास हेतु योजना संचालित है। इसके अंतर्गत सामुदायिक भवन, सी.सी. रोड़, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था, आदि मूलभूत आवश्यकताओं, हेतु निर्माण कार्य कराये जाते है।

11. **<u>विमुक्त जाति के समाज सेवक को उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार योजना-</u>** योजना अंतर्गत विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले, इस वर्ग के समाजसेवक को राशि रूपये 1.00 लाख का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

12. **<u>खेलकूद/सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन-</u>** विमुक्त घुमक्कड़ समुदाय के युवाओं के शारिरिक बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के विकास के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रावधान है।

13. <u>समेंकित विकास हेतु सर्वेक्षण-</u> समुदाय के सर्वांगीण विकास और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण का कार्य जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रथम चरण में 12 जिलों - देवास, कटनी, धार, सीहोर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर, रायसेन, इंदौर, शाजापुर एवं राजगढ़ सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग
मंत्रालय भोपाल

लेखाधिकारी
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु
समुदाय विकास